



पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद) सत्र 2022-23 में "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	उपलब्ध सीट	प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता
01	डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद)	02 वर्ष	50	10+2 (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान) अथवा समकक्ष

निर्देश:-

1. आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में आवश्यक संलग्नकों के साथ दिनांक 30 मई 2023 तक "कार्यालय प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, भोपाल" पिन कोड नंबर 462003 में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. लिफाफे के ऊपर पाठ्यक्रम का नाम लाल स्याही से अंकित करें।
3. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. आयु सीमा - किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
5. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
6. प्रवीण्य सूची:- प्राप्त आवेदन संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिक, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंको के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जायेगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा।

परंतु पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अंको की समानता की दशा में:-


(क) म.प्र. के मूल निवासी एवं कमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) म.प्र. के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

7. न्यूनतम अर्हकारी अंक:—उक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत अंक निर्धारित है।
8. डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस प्रथम वर्ष हेतु राशि रु. 56,722/- (रु. 5,000/- कांशानमनी सहित) एवं द्वितीय वर्ष में राशि रुपये 51,722/- देय होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग के लिये रुपये 200/- तथा आरक्षित वर्ग के लिये रुपये 100/- का बैंक ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है, जो कि "प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल" के नाम से देय होगा।
10. प्रदेश के बाहर हेतु निर्धारित सीटों पर उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर प्रदेश के उम्मीदवारों से सीटें भरी जावेगी। इसी प्रकार आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध ना होने या नियमानुसार अन्य संवर्ग के उम्मीदवारों से सीटें भरी जावेगीं।

काउंसलिंग शेड्यूल :-

डिप्लोमा इन फार्मसी (आयुर्वेद) : "प्रथम आओ प्रथम पाओ" (दिनांक 30.05.2023 तक)

  
(डॉ. उमेश शुक्ला)  
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी